हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

10 अक्तूबर 2025, समय 13.05

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को और सुदृढ़ कर सकती है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में लोगों तक किफायती ढंग से पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।

इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं ताकि हर इनोवेटर और स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारा प्रयास है कि एआई के बेनिफिट हर डिस्ट्रिक्ट तक हर लैंग्वेज तक पहुंचना चाहिए। हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किलिंग हब और इंडीजीनस एआई मॉडल ये सुनिश्चित कर रहे है

प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान का उल्लेख करते हुआ कहा कि दुनिया भर में होने वाले डिजिटल लेनदेन का आधा हिस्सा भारत में होता है।

आज भारत में डिजिटल पेमेंट एक रुटीन बन चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जेम ट्रिनिटी है यानी जन धन, आधार और मोबाइल को जाता है। आप यूपीआई के ट्रांजैक्शन ही देखिये आज हर महीने 20 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इनकी वैल्यू 25 ट्रिलियन रुपीस से अधिक है।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि अंबाला छावनी स्थित सुभाष पार्क, हरियाणा का पहला ऐसा पार्क होगा जिसमें सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक होगा, जिससे निवासियों को आधुनिक और आरामदायक पैदल यात्रा का अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के मनोरंजन और सुविधा के लिए जल्द ही पार्क में एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी। एक किलोमीटर लंबे सीमेंटेड ट्रैक पर 74 लाख रुपये की लागत से शुभारम बिछाई जा रही सिंथेटिक ट्रैक परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए, श्री विज ने

कहा, "यह पहल आगंतुकों के लिए सुबह की सैर और व्यायाम को और अधिक मनोरंजक बनाएगी।"

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने फरीदाबाद में कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव, नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और फरीदाबाद के उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई फरीदाबाद के सेक्टर-21ए में बाइपास रोड स्थित डंपिंग साइट पर गंदगी और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन को देखते हुए की गई है। ट्रिब्यूनल की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे, ने कहा कि अधिकारियों ने गत वर्ष 10 सितंबर को दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया और अब तक कोई अनुपालन रिपोर्ट भी जमा नहीं की। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक वीडियो में साइट की दयनीय स्थिति दिखती है।चारों ओर फैला कचरा, टूटी हुई दीवारें और साफ-सफाई की पूरी तरह अनदेखी की गई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस हालात को “सबसे खराब स्थिति” बताते हुए कहा कि यह जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एनजीटी ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन अधिकारियों के खिलाफ एनजीटी अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

फरीदाबाद की एक अदालत ने नशा तस्करी के मामले में आज एक आरोपी को 20 साल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी विनोद को वर्ष 2023 में 20 किलो 400 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया था। जून 2025 में उसे बेल जंपर घोषित किया गया था।

हरियाणा में प्रदेश को देश का सबसे अधिक कारोबार-अनुकूल राज्य बनाने के मकसद से सभी प्रमुख विभागों ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कल चंडीगढ़ में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की विनियमन और अनुपालन सरलीकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग मिश्रित भू-उपयोग के लिए 'नकारात्मक सूची' लागू करेगा। इसके अंतर्गत, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। विभाग शीघ्र ही औद्योगिक भूखंडों में औद्योगिक आवास की अनुमति का प्रावधान भी करेगा, ताकि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही आवास सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त, कंफर्मिंग जोन में उद्योगों के लिए सी.एल.यू. की स्वतः अनुमोदन प्रणाली इस 31दिसंबर तक शुरू की जाएगी, जिससे उद्योगों को स्व-प्रमाणन के आधार पर तुरंत ऑनलाइन अनुमति प्राप्त होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी नगरपालिका क्षेत्रों के लिए इसी तर्ज़ पर अधिसूचनाएं जारी करेगा।